



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40249

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5471/2026

प्रवीण उर्फ छोटे

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: बिनोद कुमार त्रिपाठी

विपक्षी के लिए अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय कक्ष संख्या -65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. और वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम एक अन्य आरोपी घनश्याम के साथ दर्ज है। एफ.आई.आर. में पीड़िता ने आवेदक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे आरोपी घनश्याम के विरुद्ध उसने कहा है कि उसने घटना का वीडियो बनाया था। एफ.आई.आर. कथित घटना के छह माह बाद बिना किसी तर्कसंगत कारण बताए दर्ज की गई है। धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने आवेदक सहित दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है, जबकि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में उसने सह-अभियुक्त घनश्याम के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया है। धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने यह भी कहा है कि 01.12.2025 को उक्त सह-आरोपी घनश्याम उसके घर आया और कथित वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया और उसने वह वीडियो वायरल कर दिया है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि एफ.आई.आर. के विवरण के साथ-साथ धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। इसके अलावा, केस डायरी में यह तो दर्ज है कि वीडियो अपलोड किया गया था, लेकिन ऐसे वीडियो का कोई विवरण नहीं है। धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के अनुसार, मुख्य अभियुक्त घनश्याम है और आवेदक का वाद उक्त सह-अभियुक्त से भिन्न है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। विद्वान अधिवक्ता ने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है जिनके कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आरोपी 08.12.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. के साथ साथ वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देकर विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय वाद से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का अधिकारी नहीं है, लेकिन वे इस बात ओ विवाद नहीं कर सके कि मुख्य आरोप सह अभियुक्त घनश्याम के विरुद्ध है।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुख्य आरोप सह-अभियुक्त घनश्याम के विरुद्ध है और उसका वाद वर्तमान आवेदक के वाद से भिन्न है, और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इसे जमानत के लिए उपयुक्त वाद प्राप्त करता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक-प्रवीण उर्फ छोटू को मुकदमा अपराध संख्या 465/2025 अंतर्गत धारा 70(1), 123, 333, 351(2) बी एन एस और धारा 67 आई टी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- जसराना, जिला फिरोजाबाद में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और दो स्थानीय जमानतदारों को समान राशि में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं कारित करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

6. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

23 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"